न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 46/2019 (75 एल0आर0एक्ट) विजय कुमार बनाम राज0 सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2019/00059)

1 विजय कुमार पिता जवाहरलाल जाति भील निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा।
2 अजय कुमार पिता जवाहरलाल जाति भील निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा।
3 सुनीता पुत्री जवाहरलाल जाति भील निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा।
4 सरिता पुत्री जवाहरलाल जाति भील निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा।
5 दुर्गावती बेवा जवाहरलाल जाति भील निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा।

..... अपीलांट

बनाम

1 नगरपालिका अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राज0 ।
2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड़।

..... रेस्पोडेंट

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा
दिनांक 08.08.14 नामान्तकरण 822 ग्राम थरोल

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता संजय सक्सेना

–: निर्णय :–

दिनांक 17.09.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के द्वारा ग्राम थरोल के नामान्तकण सं0 822 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को केडोन करने का निवदेन किया।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा आराजी ख0न0 567 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 569 रकबा 1 बीघा कुल 2 किता की 7 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम थरोल तहसील अकलेरा को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित की गई थी– इस बाबत पटवारी के द्वारा नामान्तकरण में रिपोर्ट भी कर रखी है, इसलिए नामान्तकरण में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ही तस्दीक किया जाना चाहिये था–लेकिन नामान्तकरण गैर मुमकीन आबादी में गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया–इस प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की हैं।

17/9/2020

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

तहसीलदार अकलेरा द्वारा दिनांक 08.08.2014 को नामान्तकरण तस्दीक किया गया है–जिसका ज्ञान अपीलान्टस को दिनांक 28.08.2019 को हुआ जबकि अपीलान्टस ने खातेदारी के बारे में पता करने पर अपीलान्टस को पता लगा–इसके पश्चात अपीलान्टस ने मालूमात करके नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.08.2019 को प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर नकल दिनांक 28.08.19 को मिली इस प्रकार यह अपील दिनांक ज्ञान से अन्दर मियाद काबिल समाअत अदालत हाजा में प्रस्तुत है, मियाद मुआफी हेतु प्रा0पत्र अलग से प्रस्तुत है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय को इन्तकाल व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ही तस्दीक किया जाना चाहिये था–लेकिन नामान्तकरण गैर मुमकीन आबादी में दर्ज गलत रूप से तस्दीक किया गया है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने में कानूनी गलती की हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व कोई नोटिस नही दिया–अपीलान्टस की सुनवाई किये बगैर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावे जिसका प्रा0पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये ग्राम थरोल तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 822 दिनांक 08.08.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुवे परन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1–2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुवे, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। अतः उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सेना ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा ग्राम थरोल तहसील अकलेरा के ख0न0 567 की 6 बीघा 5 बिस्वा तथा ख0न0 569 की 1 बीघा कुल 2 किता की 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि नगरपालिका अकलेरा से आदेश सं0 893–95 दिनांक 23.05.14 से व्यापार प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाई गई थी जिसकी पालना में तहसीलदार सा0 अकलेरा द्वारा ग्राम थरोल तहसील अकलेरा का नामान्तकरण सं0 822 दिनांक 08.08.2014 तस्दीक किया गया है जिसमें भूमि गै0मु0 आबादी अंकित कर दी गई जबकि नामान्तकरण में पटवारी की रिपोर्ट में भी व्यापार प्रयोजन हेतु अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवसायिक प्रयोजन की संपरिवर्तित भूमि को गैर मुमकीन आबादी अंकित कर त्रुटि की है। अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण सं0 822 दिनांक 08.08.2014 को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के आधार पर नामान्तकरण अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये जावें।

5 अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील

अति० कलेक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6 अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में यह तर्क दिया है कि अपीलान्टस के द्वारा ग्राम थरोल की 2 किता की 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि नगरपालिका अकलेरा से व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दिनांक 23.05.14 को संपरिवर्तिन कराई गई थी जिसको तहसीलदार अकलेरा द्वारा नामा0स0 822 में व्यवसायिक प्रयोजन के स्थान पर गैर मुमकीन आबादी दर्ज कर दी गई है। नगरपालिका अकलेरा की पत्रावली का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें उपलब्ध संपरिवर्तन आदेश में स्पष्ट अंकित है कि उक्त भूमि व्यापार प्रयोजन हेतु ही संपरविर्तन की गई है। जिसकी पालना में तहसीलदार अकलेरा द्वारा दिनांक 08.08.2014 को खोले गये नामान्तकरण सं0 822 में व्यापार प्रयोजन के स्थान गैर मुमकीन आबादी अंकित कर त्रुटि की गई हैं।

7 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई है जो कानूनन उचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार व प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

8 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा तस्दीक किये गये ग्राम थरोल तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 822 दिनांक 08.08.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में संपरिवर्तन आदेश में अंकित प्रयोजन अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर नियमों के परीपेक्ष में पुनः निर्णय पारित करें।

17/9/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

9 निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/9/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)